

शीर्षक: संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षणो के लिए फोटोकॉपी/प्रिन्टींग कार्य हेतु बोली
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
जयपुर

बोली फार्म



बोली संदर्भ संख्या क्रमांक:-F-3(48)/SIHFW/Photocopy & Spiral/23-24/ 7315

दिनांक:- 25/07/2023

कार्य का नाम: राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में
फोटोकॉपी/प्रिन्टींग कार्य हेतु बोली

संस्थान में आवश्यक फोटोकॉपी/प्रिन्टींग कार्य हेतु बोली आमंत्रण

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में फोटोकॉपी/प्रिन्टींग कार्य हेतु

बिड संदर्भ सं. F-3(48)/SIHFW/Photocopy & Spiral/23-24/ 7315

दिनांक: 25/07/2023

बोली आवेदन डाउन लोड करने की तिथि व समय	:	26.07.2023 सायं 4 बजे से दिनांक 02.08.2023 दोपहर 1 बजे तक
बोली आवेदन मय बोली फार्म शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की दिनांक, समय व स्थान	:	02.08.2023 दोपहर 1 बजे तक रा.स्वा.एवं प.क.सं. कार्यालय
बोली खोलने की तिथि, समय व स्थान	:	02.08.2023 दोपहर 3 बजे रा.स्वा. एवं प.क.सं. कार्यालय
बोली मूल्य	:	अनुमानित लागत रु 4.50 लाख
बोली फार्म शुल्क	:	रु 200/- (एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)
बोली प्रतिभूति राशि	:	रु 9000/- (एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)

(बोली प्रतिभूति राशि रुपये 9000/- (नौ हजार रु मात्र) एवं बोली फार्म शुल्क रुपये 200 (दो सौ रु मात्र) का डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के पक्ष में जयपुर में देय हो। (दोनों के डी.डी./बैंकर्स चैक अलग-अलग हों)

बोली खोलने का स्थान व सम्पर्क हेतु पता
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,
दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Email ID- sihfwrj@ymail.com

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,
दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Email ID- sihfwraj@ymail.com

क्रमांक:- F-3(48)/SIHFW/Photocopy & Spiral/23-24/ 7215

दिनांक:- 25/07/2023

-: बोली सूचना :-

संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के लिए फोटोकॉपी/प्रिन्टिंग कार्य हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी बोली दाताओं/फर्मों से बोली आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	कार्य	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि रु. में	बोली फार्म राशि रु. में	बोली आवेदन/ डाउनलोड करने की तिथि
1	फोटोकॉपी/ प्रिन्टिंग कार्य	4.50 लाख रुपये (1 वर्ष हेतु)	रु. 9000 बैंकर्स चैक/ डी.डी.	रु. 200 बैंकर्स चैक/ डी.डी.	26.07.2023 सायं 4 बजे से दिनांक 02.08.2023 दोपहर 01:00 बजे तक

उपरोक्त कार्य आपूर्ति के लिए बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती हैं। बोली फार्म राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com अथवा www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली दाता फर्म को बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) एवं बोली फार्म शुल्क राशि का डी-डी अथवा बैंकर्स चैक जो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय है संलग्न करना अनिवार्य होगा जो दिनांक 02.08.2023 को दोपहर 01.00 बजे तक बोली के साथ संस्थान कार्यालय में जमा करा दें। बोली प्रतिभूति राशि, बोली फार्म राशि के बिना प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताए किसी भी भाग अथवा पूर्ण बोली को रद्द करने अथवा प्राप्त बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।


निर्देशक

बोली दाताओं हेतु निर्देश

1. बोली पंजीकृत एवं अनुभवी बोली दाताओं/फर्मों/ अनुभवी एजेन्सी से आमंत्रित की जाती है।
2. बोली प्रपत्रों को वेब साईट www.sihfwrajasthan.com अथवा www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. बोली डाउनलोड, खोलने एवं बोली जमा कराने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगा:-
 - (अ) बोली प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक 26.07.2023 समय सांय 4 बजे से 02.08.2023 दोपहर 1 बजे तक होगी।
 - (ब) बोली प्रपत्र दिनांक 26.07.2023 समय सांय 4 बजे से दिनांक 02.08.2023 दोपहर 1 बजे तक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में जमा कराये जा सकते हैं एवं निर्धारित दिनांक व समय तक प्राप्त बोलियों को निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष दिनांक 02.08.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी।
 - (स) बोली प्रपत्र में बोली दाता के लिये योग्यता सूचना तथा बोली कर्ता की पात्रता, विभिन्न कार्यों की मात्रा का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
4. धरोहर राशि (Bid Security) बोली प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। बोली शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के नाम देय होगा। असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के पश्चात् कर दिया जायेगा।
5. बोली खोलने के दिनांक से 90 दिवसों तक स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी। यदि बोलीकर्ता उस अवधि में अपनी बोली अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. बोली प्रतिभूति का समपहृत (forfeiture of bid security)
 1. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत (forfeit) कर दी जायेगी :-
 - क. जब बोली लगाने वाला बोली खोलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत (withdraw) या उपान्तरित (modifies) करता है।
 - ख. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश (work order) देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो का निष्पादन नहीं करता है।
 - ग. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन करने में असफल रहता है।
 - घ. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश किये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जमा नहीं कराता है।
 - ड. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

2. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है तो लौटायी जा सकती है।
7. यदि सफल बोली कर्ता अपनी बोली अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है, अथवा करार की शर्तों को भंग करता है, तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) जब्त कर ली जावेगी।
8. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निदेशक रा.स्वा. प.क.सं के पास सुरक्षित है।
9. बोली दाता द्वारा बोली शुल्क, व बोली प्रतिभूति राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अलग-अलग देय होंगे।
10. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि कार्यादेश राशि की 2.5 प्रतिशत होगी। सफल बोली दाता को कार्यादेश देते समय अथवा अनुबंध के समय बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जाना संभव हो सकेगा।
11. बोली दाता अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता तथा ई-मेल आईडी अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक/ई-मेल द्वारा संपर्क किया जा सके।
12. बोलीदाता फर्म का विगत 3 वर्षों में किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ काली सूची में अथवा कार्य से वंचित नहीं किया गया है अथवा कार्य असंतोषजनक होने के कारण पूर्व में अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है एवं प्रतिभूति राशि जब्त नहीं की गई है।
13. बोलीदाता फर्म किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया घोषित नहीं है और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
14. बोलीदाता फर्म के विगत 3 वर्षों में निदेशक/प्रोपराईटर व अधिकारियों/कर्मचारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और नहीं किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण अयोग्य किये गये हैं।
15. बोलीदाता फर्म के कार्मिक भी विगत 3 वर्षों में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अथवा सजायापता नहीं रहे हैं।
16. बोली दाता आज दिनांक में प्रस्तुत बोली तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ अवैध कार्य तथा चोरी एवं आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है एवं बोली दाता फर्म के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की गई है/प्रक्रियाधीन नहीं है।
17. किसी भी स्तर पर हमारे द्वारा दी गई सूचना एवं तथ्य गलत एवं झूठे पाये जाते हैं तो मेरे/हमारी फर्म/कंपनी को वर्तमान कार्य से वंचित कर दिया जाये तथा भविष्य में भी आप द्वारा जारी कि गई बोलियों में आमन्त्रण हेतु अयोग्य समझा जावे जिस हेतु किसी भी दावे एवं नुकसानी लेने के लिये पात्र नहीं होंगे
18. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात् बोलियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
19. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
20. बोली दाता को प्रपत्र बिना काट-छांट के जमा करना होगा। बोली प्रपत्र में अतिआवश्यक परिस्थिति में प्रत्येक काट-छांट पर बोली दाता को अपने हस्ताक्षर करने होंगे अन्यथा बोली को अमान्य किया जा सकता है।
21. बोली स्वीकार करने/नहीं करने या समस्त बोली कार्यवाही को निरस्त करने का अंतिम अधिकार निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का होगा।
22. सम्पूर्ण बोली पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में उल्लेखित धाराएं एवं नियम प्रभावी होंगे एवं अनुबंधक के लिए बाध्यकारी होंगे।
23. सफल बोली दाता से अनुबंध की अवधि अनुबंध किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि अथवा राशि रूपये 4.50 लाख जो भी पहले हो के लिए मान्य होगी। आर.टी.पी.पी. नियम 2013 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार उक्त अनुबंध आवश्यक होने पर नियमानुसार अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।



24. बोली दाता के लिए यह समझा जायेगा की उसने इस बोली की समस्त शर्तों/विवरण आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर, समझ कर समस्त शर्तों व विवरण पत्रों को स्वीकार कर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।
25. निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान किसी भी बोली को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोली दाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।
26. बोली दाता कार्य को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा।
27. बोली दाता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनहर्ता होगी। आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 की धारा 11 (3) एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स के नियम 80(2) के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता भंग किये जाने की स्थिति में निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर उक्त अधिनियम व नियम के नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगा।
28. यदि बोली के संबंध में संस्थान में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा बोली को पास कराये जाने संबंधी कोई गारंटी दी हो या शुल्क की मांग की हो तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाना बोली दाता का दायित्व होगा।
29. निविदादाता द्वारा एम.एस.एम.ई. का प्रमाण पत्र, संस्थान को नियमानुसार प्रस्तुत करने पर निर्धारित शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि में छूट देय होगी।

 23/07/23
निदेशक

घोषणा पत्र व चैकलिस्ट

मैं/हम (बोलीदाता का नाम), कार्यालय

..... बोलीदाता का पता घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने, निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा बोली में दिये गये सभी शर्तों एवं नियम पढ़ लिये हैं तथा उल्लेखित सभी शर्तों, नियमों व नीचे दिये गये ग्रेडिंग/मेरिट सिस्टम का पालन करने हेतु सहमत हैं।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरों को बोली वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध रहने की घोषणा करते हैं।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरे राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में समान प्रकार व गुणवत्ता की दी गई सेवाओं की दर से अधिक नहीं है की घोषणा करते हैं।

क्र.सं.	विवरण	संलग्न हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या
1.	बोली प्रतिभूति राशि रु. 9000/- बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य		
2.	पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य		
3.	जी.एस.टी टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य		
4.	वर्ष 2022-23 की जी.एस.टी. जमा विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य		
5.	हस्ताक्षरित मूल बोली फार्म अनिवार्य		
6.	टर्नओवर विवरण विगत तीन वर्ष का औसत सकल वार्षिक टर्नआवर रुपये 10.00 लाख प्रतिवर्ष (रुपये दस लाख) इसी व्यवसाय से होना अनिवार्य है।		
7.	बोली दाता फर्म किसी सरकारी विभाग/एजेंसी से ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, इसका शपथ पत्र 50.00 रुपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें अनिवार्य		
8.	स्वामित्व प्रमाण पत्र/घोषणा इसका शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें अनिवार्य		

नोट:-

उपरोक्त सारणी में पृष्ठ संख्या अवश्य लिखें ताकि आपके द्वारा संलग्न दस्तावेज को आसानी से ढूँढा जा सके।



राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

ज्ञालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ आफ दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर-302004

फोन नं. 2706496, 2701938, Email ID- sihfwraj@ymail.com

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर सम्पूर्ण फोटोकॉपी कार्य करवाये जाने हेतु

बोली फार्म

1.	बोली दाता फर्म/संस्था का नाम	
2.	सम्पर्क हेतु डाक का पूरा पता	
3.	दूरभाष: अ) कार्यालय..... ब) निवास..... मोबाईल..... ई-मेल.....
4.	फर्म के मालिक/साझेदारों के नाम व पूरा पता	
5.	फर्म मालिकाना है या साझेदारी	
6.	(अ) बोली प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता (ब) किस हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं? (स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया है?	नाम- पता- (यथा मालिक/मैनेजर/सचिव/अधिकृत व्यक्ति) हाँ/नहीं/लागू नहीं
7.	यदि फर्म जयपुर से बाहर स्थित हो तो जयपुर शहर में स्थानीय संपर्क स्थल/सूत्र की जानकारी दें?	नाम मोबाईल नं. दूरभाष नं. पता-
8.	संलग्न बैंकर चैक/डी.डी. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) का विवरण (जमा करा दी गई है/नहीं कराई है)	बोली फार्म शुल्क बोली प्रतिभूति राशि
		बैंकर चैक/डी.डी. सं. दिनांक:

उपर्युक्त जानकारियाँ सही व तथ्यों पर आधारित है। यदि अनुबंध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विसंगतियाँ प्रमाणित हों तो अनुबंध निरस्त करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने क्रमांक 5 से 8 तक सम्बंधित एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र कागजात अथवा उनकी प्रति संलग्न कर दी है।

बोली दाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प
नाम व पता मय दूरभाष नं.



बोली की शर्तें एवं नियम

1. बोली प्रपत्र शुल्क 200/- रुपये है। बोली प्रपत्र वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in अथवा <http://sihfwrajasthan.com> से डाउनलोड कर प्रस्तुत किये जाने पर बोली शुल्क का Demand Draft , अमानत राशि के Demand Draft साथ पृथक से संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
2. बोली हेतु अमानत राशि कार्य की लागत की 2 प्रतिशत होगी। अमानत राशि के सम्बन्ध में MSME फर्म को नियमानुसार छूट दी जावेगी।
3. बोली प्रदाता फर्म का पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा।
4. बोली प्रारूप में वित्तीय दरें नीली स्याही से भरा जायेगा या अंकित किया जायेगा। पेंसिल से भरी हुई किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की शर्तों को स्वीकार करने का प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों/कागजातों पर बोलीदाता को अपने हस्ताक्षर अंकित करने होंगे।
5. दर शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जावेगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहियें एवं उन पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर करने किये जाने चाहिए। दरें समस्त करो सहित अंकित की जानी है जिसमें जीएसटी, अन्य कर व सर्विस चार्ज एवं संस्थान से कार्यादेश मय सामग्री लिए जाने एवं कार्य आपूर्ति करने (आने व जाने) का व्यय की राशि को शामिल कर दिखाना चाहिए। प्रस्तुत दरों के अलावा अन्य किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. दरें गन्तव्य निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के स्टोर तक एफओआर उद्धृत की जानी चाहिए।
7. बोली अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष तक की अथवा राशि 4.50 लाख रुपये तक के लिए मान्य होगी।
8. अनुमोदित प्रदायकर्ता की शर्तों/निर्देशों आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर लेवे। यदि इनके सम्बन्ध में कोई संदेह हो तो व संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इस कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकेगा।
9. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी को नहीं सौंपेगा या सबलैट नहीं करेगा।
10. यदि कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं होगा तो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम एवं बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।
11. फोटोकॉपी/प्रिन्टींग कार्य न्यूनतम 75 GSM श्रेणी के कागज पर किया जाना अनिवार्य होगा।
12. फोटोकॉपी कार्य गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया तो अनुबंध रद्द कर दिया जावेगा तथा जमानत राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
13. फोटोकॉपी/प्रिन्टींग कार्य की आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी भी जोखिम के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
14. फोटोकॉपी/प्रिन्टींग कार्य की आपूर्ति के पश्चात सामग्री के निर्धारित स्पेशिफिकेशन एवं नमूने के अनुसार पाये जाने पर प्राप्त बिलों का सम्बन्धित भंडार लेखों में प्रविष्ट होने एवं प्रमाणीकरण पश्चात नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती पश्चात भुगतान किया जावेगा। परिसमापित नुकसानी-सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लागू होगी।
15. बोली प्रक्रिया में सफल बोली प्रदाता एवं कार्यादेशित फर्म को दैनिक रूप से दिया जाने वाले फोटोकॉपी/प्रिन्टींग कार्य की आपूर्ति कार्यादेश के 10 घंटों के भीतर राज्य स्वा0 एवं प0 क0 संस्थान, दूरदर्शन केन्द्र के पास, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में करनी होगी।

16. बोली प्रक्रिया में सफल बोली प्रदाता एवं कार्यादेशित फर्म को दैनिक रूप से दिया जाने वाले फोटोकॉपी/प्रिन्टींग कार्य हेतु कार्यादेश मय सामग्री (यदि कोई हो) राज्य स्वा० एवं प० क० संस्थान से संग्रहित करने एवं कार्य पूर्ण कर आपूर्ति संस्थान में सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यादेशित फर्म की ही होगी
17. इस बोली में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी अन्य शर्त को बोली में स्वीकृत नहीं जावेगा।
18. उपयुक्त समझे जाने पर या आवश्यकता होने पर अनुबंध अवधि में नियमानुसार बढ़ोतरी की जा सकती है।
19. **करार व प्रतिभूति निक्षेप:** सफल बोली दाता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर करार/अनुबंध पत्र रूपये 500 के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा। कार्यादेश राशि की 2.5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) किसी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक से जमा करानी होगी। यदि सफल अनुबंधकर्ता जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो संस्था सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों (आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी। करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान अनुबंधकर्ता द्वारा किया जायेगा।
20. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Perform
21. ance Security) पर संस्थान द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
22. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) का समपहरण (जब्त) (foreiture of performance security) – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत (जब्त) किया जा सकेगा—
 - जब अनुबंध की किन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - जब अनुबंधकर्ता द्वारा सम्पूर्ण कार्य/गुणवत्ता संतोष जनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहरण (जब्त) करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा, इस सम्बंध में निदेशक रा.स्वा. एवं प.क. सं. का निर्णय अन्तिम होगा।

मैंने /हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत है।



(फर्म के लेटर हैड पर)

वार्षिक टर्नओवर विवरण*

मैसर्स पता.....
..... के गत तीन वित्तीय वर्षों का सकल
वार्षिक टर्नओवर नीचे दिये गये वित्तीय विवरण सही और सत्य है, जो निम्नानुसार है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्नओवर (लाख में) रुपये
1		
2		
3		
	कुल योग	रुपये लाख में

नोट:-

*विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत सकल वार्षिक टर्नओवर रुपये 10.00 लाख प्रतिवर्ष (दस लाख रु) इसी व्यवसाय से सम्बन्धित होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट (Profit & Loss Account/ Income & Expenditure Account and Balance sheet) संलग्न करनी होगी।

दिनांक: बोली दाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

अंकक्षक के हस्ताक्षर मय सील/चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट
नाम:

पता:

मोबाइल नम्बर:

स्व: घोषणा प्रमाण पत्र

(50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मेरी /हमारी संस्था (एकल स्वामित्व, साझेदारी, कम्पनी) द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी स्तर पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा निजी संस्थाओ से अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) घोषित नहीं की गई है तथा इसके उपरान्त भी अगर कोई विलेख मेरी/हमारी संस्था की अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो उसके परिणाम तथा दुष्परिणाम हेतु मेरी/हमारी संस्था ही जिम्मेदार होगी।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

बोली दाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

दिनांक

स्थान



स्वामित्व प्रमाण पत्र/घोषणा

(50 रु के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम..... मैं एकल स्वामित्व/साझेदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मैसर्स
.....एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/ सार्वजनिक/ निजी लिमिटेड कंपनी के एकमात्र मालिक जो कि
अधिकृत कार्यालय स्थित
.....(पूरा पता) जो कि सही होने कि घोषणा करते हैं:-

1. कि मैं मैसर्सका एक मात्र मालिक हूँ
अथवा

कि हमारी मैसर्ससाझेदारी फर्म है जिसके तहत साझेदारों
के पूरा नाम निम्न है:-

(अ)

(ब).....

(स).....

(द).....

अथवा

कि हमारी कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधन के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राइवेट
लिमिटेड कंपनी है।

यदि स्वामित्व के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र/साझेदारी फर्म का साझेदारी विलेख/प्राइवेट
लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड का ज्ञापन ओर एसोसिएशन का प्रलेख प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए
जिस पर कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशको में से एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न
किया जाना चाहिए

2. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मैसर्सआज दिनांक में
प्रस्तुत बोली तक विगत 3 वर्षों में किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ काली सूची (Black List) में
अथवा कार्य से वंचित नहीं किया गया है अथवा कार्य असंतोषजनक होने के कारण पूर्व में मेरा/हमारा
अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है एवं प्रतिभूति राशि जब्त नहीं की गई है।

3. यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
4. यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों/कर्मचारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और नहीं किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण अयोग्य किये गये हैं।
5. मेरे कार्मिक भी विगत 3 वर्षों में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में सजायापता नहीं है/लिप्त नहीं रहे हैं।
6. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मैसर्सआज दिनांक में प्रस्तुत बोली तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ अवैध कार्य तथा चोरी एवं आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा कि जाती है तथा मेरे/हमारी फर्म/कंपनी मैसर्स.....के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की गई है/प्रक्रियाधीन नहीं है।
7. किसी भी स्तर पर हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना एवं तथ्य गलत एवं झूठे पाये जाते हैं तो मेरे/हमारी फर्म/कंपनी को वर्तमान कार्य से वंचित कर दिया जाये तथा भविष्य में भी आप द्वारा जारी कि गई बोलीओ में आमन्त्रण हेतु अयोग्य समझा जावे जिस हेतु किसी भी दावे एवं नुकसानी लेने के लिये पात्र नहीं होंगे
8. मैं शपथ पत्र में पूर्ण स्वस्थ चित के साथ शपथ लेता हूँ की मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामी के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

सत्यापन हेतु.....पर.....दिये गये अनुच्छेद 1 से 8 शपथ पत्र में सही ओर ठीक है तथा कोई भी बिन्दु गलत नहीं हैं तथा ना ही कुछ छुपाया अथवा झूठा विवरण दिया गया है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामी के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी नोटरी के हस्ताक्षर मय मोहर



राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ आफ दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर-302004
फोन न. 2706496, 2701938, Email ID- sihfwraj@ymail.com

फोटोकॉपी/प्रिन्टींग कार्य हेतु दर संविदा

मदों के प्रदाय के लिए दरें (प्रदाय की जाने वाली दरें कार्य के सामने अंकित की जायेगी) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप

S.No.	Work Description	Size	Rate per page including GST (Rs.)	Rate in words
1	Photo Copy (Single Side)	A/4 Size		
2	Photo Copy (Double Side)	A/4 Size		
3	Photo Copy (Single Side)	A/3 Size		
4	Photo copy (Both Side)	A/3 size		
5	Colour Laser Print	A/4 Size		
6	Colour Laster Print	A/3 Size		
7	Colour Photo Copy (Single Side)	A/4 Size		
8	Colour Photo Copy (Double Side)	A/4 Size		
9	Colour Photo Copy (Single Side)	A/3 Size		
10	Colour Photo Copy (Both Side)	A/3 Size		

